न्यायालय–द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,देहरादून
प्रकीर्ण वाद संख्या 2109/2026

1. श्री प्रवीण सेमवाल पुत्र श्री मगनानन्द सेमवाल निवासी उम्मेदपुर, प्रेमनगर, देहरादून।
2. श्रीमती प्रतीक्षा सेमवाल पत्नी श्री प्रवीण सेमवाल पुत्र श्री मगनानन्द सेमवाल निवासी उम्मेदपुर, प्रेमनगर, देहरादून।
3. आकाश बंगवाल पुत्र श्री बंशीधर बंगवाल निवासी उम्मेदपुर, प्रेमनगर, देहरादून।

बनाम

1. यशपाल सिंह निवासी–प्रेमनगर, देहरादून।
2. नरेश सिंह राठौर थानाध्यक्ष थाना प्रेमनगर, देहरादून।
3. सतेन्द्र सिंह एस.आई थाना प्रेमनगर, देहरादून।
4. शोभा मेहता उपनिरीक्षक थाना प्रेमनगर, देहरादून।
5. सुशीला महिला कांस्टेबल थाना प्रेमनगर, देहरादून।

अन्तर्गत धारा–175(3) बी.एन.एस.एस.।
थाना–प्रेमनगर, जिला–देहरादून।
प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता–श्री आर.के. सकलानी।

दिनांक 10.09.2026

पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. सकलानी को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी.एन.एस.एस.

02. प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. मय शपथपत्र संक्षिप्त में इस आशय के अभिवाक के साथ प्रस्तुत किया है कि...''प्रार्थी संख्या–1 प्रवीण सेमवाल पिछले पांच वर्षों से विपक्षी संख्या–01 श्री यशपाल सिंह तंवर पुत्र श्री अटल सिंह निवासी आदर्श विहार, प्रेमनगर, देहरादून, मो0नं0–9411032016 के यहां तंवर सप्लायर्स में एकाउन्टेन्ट के पद पर कार्यरत था, जहां प्रार्थी संख्या–01 मु0 20,000/– रूपये प्रतिमाह वेतन प्रार्थी संख्या–01 के खाते में आता था, जहां अचानक से जनवरी माह 2026 में प्रार्थी संख्या–01 जबरन नौकरी से निकाल दिया, प्रार्थी संख्या–01 को दो माह की सैलरी भी नहीं दी, जब प्रार्थी संख्या–1 सैलरी लेने गया, तो विपक्षी संख्या–01 ने प्रार्थी संख्या–01 को गाली–गलौज करके भगा दिया और कहा कि "मैं तेरी सैलरी नहीं देता, जो करना है कर ले, जहां जाना है, वहां चला जा", प्रार्थी सं0 1 को नौकरी से निकाल दिये जाने के बाद उसके द्वारा अपना सप्लायर्स का व्यवसाय कर्जा आदि लेकर शुरू किया गया, जिसको सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रार्थी सं0 1 द्वारा लोन भी लिया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है– मैसर्स सेमवाल सप्लासर प्रेमनगर, ठाकुरपुर के नाम से एस0बी0आई0 प्रेमनगर से दिनांक 21.02.2026 को मु0 10,05,000/– रूपये लिये गये, तत्पश्चात् प्रार्थी संख्या–01 द्वारा पिकअप गाड़ी के लिये एच0डी0बी0 दिनांक 18.03.2026 को मु0 6,02,405/– रूपये का लोन लिया गया तथा एक वाहन स्कोर्पियो के लिये महिन्द्रा फाईनेंस से मु0 15,19,506/– रूपये प्रार्थी संख्या 01 द्वारा लिये गये, उपरोक्त लोन से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज संलग्न है, प्रार्थी संख्या–01 का

व्यवसाय काफी अच्छा चलने लगा, प्रार्थी का व्यवसाय भी विपक्षी संख्या–1 के आस–पास में ही है, प्रार्थी संख्या–01 की अच्छी उन्नति को देखकर विपक्षी संख्या–01 जल–भुन गया और उसके द्वारा अन्य विपक्षीगण के साथ मिलकर प्रार्थी संख्या–01 के खिलाफ षडयंत्र कर चोरी की झूठी तहरीर बनाकर दिनांक 10.03.2026 को प्रार्थी सं0 1 को थाने में बुलाया और विपक्षी संख्या–3 द्वारा कहा गया कि तुम्हारे खिलाफ यशपाल सिंह तंवर ने चोरी की तहरीर थाना प्रेमनगर को दी है, उसके पैसे अभी वापिस दो, उस समय विपक्षी संख्या–01 भी थाने में ही मौजूद था, विपक्षी संख्या–03 ने जबरन डरा धमकाकर प्रार्थी संख्या–01 से एक समझौतानामा धमकी देकर लिखवाया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि आप 6 वर्ष से पूर्व विपक्षी संख्या–01 यशपाल सिंह कंवर के यहां नौकरी करते थे, उस समय आपने गल्ले से विभिन्न तिथियों में मु0 20,00,000/– रूपये पूर्व में चुराये थे, जब प्रार्थी संख्या–01 के द्वारा इन्कार किया गया, तो विपक्षी संख्या–3 द्वारा जोरदार थप्पड प्रार्थी सं0 1 को मारा और कहा गया कि जैसा मैं कहता हूं वैसा लिख। प्रार्थी सं0 1 ने डर के मारे विपक्षी संख्या–03 के बोलने पर समझौता पत्र लिखा और जबरन प्रार्थी सं0 1 से हस्ताक्षर करवायें और विपक्षी संख्या–01 से भी हस्ताक्षर कराये गये, उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थी संख्या–01 द्वारा गृह सचिव, उत्तराखण्ड, डी0एम0, देहरादून एवं एस0एस0पी0, देहरादून को दिनांक 11–03–2026 को लिखकर दी तथा व्यक्तिगत रूप से भी मिले जिस पर एस0एस0पी0 महोदय के कार्यालय से विपक्षी संख्या–03 को फोन गया और उससे कहा गया कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही ना की जाये, उसके बाद विपक्षी संख्या–03 ने प्रार्थी सं0 1 को व्हाट्सअप मैसेज में कहा गया कि अब किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं।

प्रार्थीगण ने मुख्य घटना के संबंध में आगे यह भी कहा कि ...''दिनांक 09–04–2026 को प्रार्थी सं0 1 अपनी दुकान में कार्य कर रहा था और उसकी पत्नी प्रार्थी सं0 2 भी बैठी थी, अचानक विपक्षी संख्या 3, 4 व 5 व अन्य पुलिसकर्मियों व विपक्षी संख्या–01 और उसके गुण्डे स्विफ्ट गाड़ी में बैठकर व दो पुलिस की गाड़ियां जिसमें अन्य सिपाही भी थे, प्रार्थी सं0 1 व 2 को जबरन खींचकर, मारपीट कर, घसीटकर प्रार्थी संख्या 01 को पुलिस की गाड़ी में उठाकर तथा प्रार्थी संख्या 02 को प्राईवेट नम्बर की स्विफ्ट कार में थाना लेकर आये, प्रार्थीगण गिड़गिड़ाने लगे कि हमने क्या गलत किया, हमें क्यों जबरदस्ती ले जाया जा रहा है और किस केस में कोर्ट का कोई ऑर्डर है या कोई समन है, दिखाओ, हमने क्या अपराध किया है। आप हमें छोड़ दो, हमारे साथ जबरदस्ती मत करो, हमारा 4 साल का बच्चा घर पर अकेला है। फिर भी पुलिसकर्मियों ने नहीं सुनी तथा पूरे रास्ते गाड़ी के अन्दर प्रार्थी संख्या–1 को पुलिस कर्मियों द्वारा मारते रहे और हंसते रहे कि तू अब हमारे जाल में फंसा व जबरन गाड़ी में बिठाकर थाना प्रेमनगर में ले आये व प्रार्थी संख्या 02 को प्राईवेट स्विफ्ट कार से थाना प्रेमनगर के गेट पर उतारा तब तक प्रार्थी संख्या 02 का भाई प्रार्थी संख्या 03 भी मुख्य गेट पर पहुंच चुका था, दोनों प्रार्थीगण प्रार्थी संख्या 01 को देखने के लिये थाने के अन्दर गये तो उन्होंने देखा कि उक्त विपक्षीगण प्रार्थी संख्या 01 को पीट रहे हैं तथा लाठी, बैल्ट से पीटकर घ ाायल कर दिया तब प्रार्थी सं0 2 अपने पति का बचाव करने लगे तो विपक्षी संख्या 04 व विपक्षी संख्या 05 द्वारा प्रार्थी संख्या 02 को बुरी तरह से पीटा जाने लगा और विपक्षी संख्या 2 के द्वारा प्रार्थी संख्या 02 के पेट और गुप्तांगों में भी लातों से प्रहार किया गया जिससे प्रार्थी सं0 2 को पूरी रात ब्लीडिंग हुई

तथा उल्टा प्रार्थीगणों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, प्रार्थी संख्या 03 के द्वारा अपने दीदी व जीजा को बर्बता से पीटते हुये देख विडियो बनाने लगा तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की और प्रार्थी संख्या 03 बचकर भाग निकला और प्रेमनगर पुलिस ने प्रार्थी संख्या 03 पर भी झूठा मुकदमा संख्या 0070 सरकार बनाम प्रवीन सेमवाल आदि अन्तर्गत धारा 115(2), 121, 132, 221, 351 (2) व 352 बी0एन0एस0 में प्रार्थीगणों को अभियुक्त बनाया, अगले दिन दिनांक 10–04–2026 को न्यायालय ए.सी.जे.एम. चतुर्थ, देहरादून के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय में मुकदमा योजित करने से पहले प्रार्थीगणों का प्रेमनगर सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराया गया जिसमें डॉक्टर द्वारा सामान्य रिपोर्ट बनायी गयी। उसके पश्चात् जब न्यायालय में प्रार्थीगणों को प्रस्तुत किया गया तो प्रार्थी संख्या 02 ने बताया कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है तब न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी सं0 2 को महिला कॉस्टेबल के माध्यम से न्यायालय के निर्देशानुसार चैकअप किया गया, उस दौरान तक भी प्रार्थी सं0 2 को ब्लीडिंग हो रही थी तथा न्यायालय द्वारा उसी समय प्रार्थीगणों को जमानत पर रिहा किया गया। जमानत के पश्चात् हम प्रार्थीगण द्वारा घटना के तुरन्त पश्चात् दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में जाकर अपना मेडिकल कराया गया।

प्रार्थीगण ने आगे यह भी कहा कि प्रार्थी सं0 1 द्वारा कुछ समय पूर्व में विपक्षी संख्या 01 के यहां नौकरी छोड़ दी थी, यदि प्रार्थी के द्वारा कोई चोरी की गयी होती, तो विपक्षी संख्या 03 व विपक्षी संख्या 01 पूर्व में ही प्रार्थीगणों के साथ कार्यवाही कर सकता था किन्तु विपक्षी संख्या–03 व विपक्षी संख्या–01 द्वारा प्रार्थीगणों से झूठी उगाही करने हेतु मु0 20,00,000/– रूपये का एग्रीमेन्ट लिखवाया गया था, यह कार्यवाही विपक्षी संख्या–03 दरोगा द्वारा करायी गयी थी, विपक्षी संख्या–01 व विपक्षी संख्या–02 पुराने परिचित थे, जिस कारण उनके द्वारा उपरोक्त घटना को अन्जाम दिया गया, प्रार्थीगणों को जब न्यायालय ए.सी.जे.एम. चतुर्थ, देहरादून द्वारा जमानत पर छोड़ा गया, तो प्रार्थीगण अपने फोन व प्रार्थी सं0 2 अपनी स्कूटी जो उसके भाई आकाश बंगवाल के द्वारा थाने में लायी गयी थी जिसका पंजीयन संख्या–**UK07HH3029** मॉडल होण्डा एक्टिवा है जो कि एच0डी0बी0 बैंक से फाईनेंस है को लेने अगले दिन गयी, उक्त स्कूटी थाने से गायब हो गयी तथा प्रार्थीगणों के सारे मोबाईल फोन के लॉक तोड़कर सारे फोन रिसैट कर दिये गये, प्रार्थी सं0 2 का एक फोन **VIVO 30** जो वापिस नहीं दिया गया था जो कि एच0डी0बी0 बैंक से फाईनेंस है, उसे वापिस लेने के लिए प्रार्थी सं0 1 थाने गया, तो विपक्षी संख्या–02 नरेश राठौर द्वारा धमकी दी गयी, कि मेरी अभी 20 साल की नौकरी है, तुझे कहीं का नहीं छोडूंगा, किसी ना किसी मामले में तुझे झूठा फंसाकर सलाखों के पीछे डालूंगा, प्रार्थीगणों द्वारा एस0एस0पी0 महोदय देहरादून को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 13.04.2026 व एस0पी0सी0टी0 महोदय देहरादून को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.2026 व आई0जी0 गढवाल महोदय को दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2026 पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है क्योंकि विपक्षीगण पुलिस अधिकारी व कर्मचारी है और लगातार प्रार्थीगणों को झूठे मुकदमें में फंसाने की साजिश रच रहे हैं और बार–बार थाने में बुलाकर प्रताड़ित कर रहे हैं और कभी भी झूठा मुकदमा प्रार्थीगणों के विरूद्ध थाना प्रेमनगर व अन्य थानों में भी दर्ज करवा सकते हैं जिस कारण उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

थाना प्रेमनगर के पुलिस द्वारा अभी तक प्रार्थीगणों का फोन व स्कूटी वापस नहीं लौटाया गया है और झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दे रहे हैं''... आदि कथन करते हुए विपक्षीगण के विरूद्ध उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित करने की याचना की गई है।

03. प्रार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में अपने आधार कार्ड, मेडिकल प्रपत्र, गृह सचिव उत्तराखण्ड को प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 11.03.2026, कथित रूप से जबरदस्ती कराये गये समझौतानामा दिनांकित 10.03.2026 की प्रति, एस.एस.पी. देहरादून को प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 17.04.2026, 13.04.2026, एस.पी. सिटी देहरादून को प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.04.2026, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष नन्दा की चौकी सुद्धोवाला, देहरादून को प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.04.2026, आई.जी. गढ़वाल, परिक्षेत्र, देहरादून को प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.04.2026, चैट की स्क्रीनशॉट की छायाप्रति, मैसर्स सेमवाल सप्लासर प्रेमनगर, ठाकुरपुर के नाम से एस0बी0आई0 प्रेमनगर से दिनांक 21.02.2026 को मु0 10,05,000/– रूपये के लोन से सम्बन्धित दस्तावेज, स्कॉर्पियो महिन्द्रा लोन से सम्बन्धित दस्तावेज, स्कूटी होण्डा स्कूटी स्मार्ट के लोन से सम्बन्धित दस्तावेज, स्कूटी चोरी व मोबाईल जब्त करने के उपरांत पुलिस द्वारा वापिस न देने के लिए यू.के.आई.टी.डी.ए.–एस को प्रार्थना पत्र दिनांकित 18.04.2026, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल, राज्य मनवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री हैल्पलाईन को प्रेषित शिकायत प्रार्थना पत्रों की रसीदें, कार्यालय जिला अधिकारी से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के साथ संलग्न, उक्त प्रकरण मे क्षेत्राधिकारी नगर जनपद देहरादून की जांच आख्या कागज संख्या 25 दिनांकित 22.05.2026 की प्रति, चोटिल प्रार्थी सं0 1 प्रवीन सेमवाल एवं प्रार्थी सं0 2 प्रतिक्षा सेमवाल की चोटों के फोटोग्राफ्स एवं कथित रूप से प्रार्थी संख्या 1 को बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट के घर से उठाकर लाये जाने एंव थाना प्रेमनगर पर हुयी घटना की वीडियो से संबधित पैनड्राईव आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

04. प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर थाना प्रेमनगर देहरादून से वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक मुकेश थलेडी के माध्यम से आख्या प्राप्त हुई है जिसमे प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र मे वर्णित घटनाक्रम की पुनरावृत्ति करते हुये कहा है कि माह मार्च में थाना प्रेमनगर में शिकायतकर्ता/विपक्षी सं0 1 यशपाल सिंह तंवर द्वारा प्रार्थी सं0 1 प्रवीन सेमवाल के विरूद्ध उसकी फर्म में नौकरी के दौरान अन्य प्रार्थीगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर फर्जी बिल बुक बनाकर व खातों में फेरबदल कर प्रार्थी के कारोबार में चोरी करने की शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कथन करते हुए अन्य बातों के अलावा कहा गया है कि....''उक्त जांच प्रार्थना पत्र की जांच तत्कालीन थाना अध्यक्ष श्री कुंदन नाम द्वारा थाना प्रेमनगर पर नियुक्त उ0नि0 सत्येंद्र सिंह के सुपुर्द की गई, दौराने जांच उपनिरीक्षक सत्येंद्र सिंह द्वारा आवेदक श्री यशपाल सिंह तंवर से पूछताछ की गई, यशपाल सिंह तंवर से ही विपक्षी प्रवीण सेमवाल का मोबाइल नंबर लेकर प्रवीण सेमवाल को बयान हेतु बुलाया गया, परंतु काफी दिनों के पश्चात भी जब विपक्षी प्रवीण सेमवाल बार–बार बुलाने बयान हेतु नहीं आया तो, जांच–कर्ता द्वारा दिनांक 10.03.2026 को विपक्षी प्रवीण सेमवाल को बुलाने हेतु थाने से कर्मचारी भेजे गए, जिस पर विपक्षी प्रवीण सेमवाल दिन के समय थाने पर अपनी पत्नी प्रतीक्षा सेमवाल के साथ थाना उपस्थित आया जांच कर्ता द्वारा दोनों पक्षों को

संयुक्त रूप से पूछताछ कर बयान अंकित किए गए, जिसमें प्रवीण सेमवाल और उसकी पत्नी द्वारा स्वयं से स्वीकार किया कि विगत वर्षों में यशपाल तंवर के ऑफिस से प्रतिदिन 10,000 यह कभी 15,000 रोज चुराकर प्रवीण सेमवाल अपने घर लाता था, जिसकी जानकारी यशपाल तंवर को नहीं होती थी, तथा प्रवीण सेमवाल ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त चुराए गए, रूपयो में से 20 लाख रुपये एक माह बाद दिनांक 10–04–2026 तक यशपाल तंवर को अदा कर देगा, उक्त समझोता नामा दोनों पक्षों की सहमति से प्रवीण सेमवाल द्वारा अपने हस्तलेख में लिखा गया ओर समझोता होने के बाद दोनों पक्ष अपने–अपने घर चले गए थे, प्रवीण सेमवाल द्वारा दिनांक 10–3–2026 को जो लिखित में समझौतानामा दिया गया था, वह समझौतानामा प्रवीण सेमवाल अपने साथ नहीं ले गया था, उक्त समझौतानामा की एक प्रति प्रवीण सेमवाल को देने हेतु अगले दिन दिनाक 11–3–2026 को प्रवीण सेमवाल द्वारा जांचकर्ता को व्हाट्सएप कॉल व व्हाट्सएप मैसेज किए गए, जिस के जवाब में जांचकर्ता द्वारा अपने मोबाइल से प्रवीण सेमवाल को उक्त समझौतानामा की कॉपी लेने हेतु, सुबह करीब 10:00 बजे कई फोन प्रवीण सेमवाल को किए गए तो प्रवीण सेमवाल द्वारा जांचकर्ता का फोन नहीं उठाया गया, तत्पश्चात प्रवीण सेमवाल द्वारा एक सुबह करीब 10:03 बजे व्हाट्सएप मैसेज जांचकर्ता को किया गया, जिसमें प्रवीण सेमवाल द्वारा लिखा था कि, सर प्लीज मेरे प्रेशर मत बनाओ, क्योंकि अकेला हो गया हूं, मेरे पर मेंटली प्रेशर बहुत हो गया है, सुबह यशपाल सिंह तंवर का फोन आया था प्रेशर, प्रेशर बना रहा था, इसलिए, वो भी बार–बार फोन कर रहा है पैसे के लिए मेरे पर प्रेशर बना रहा है तथा जांचकर्ता द्वारा उसका जवाब लिखा था कि किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तेरे से बात करने के लिए फोन कर रहा था और जो तूने प्रार्थना पत्र दिया है, उसे भी वापस ले जाओ, दिनांक 11.03.2026 को ही शाम के करीब 4:00 के करीब प्रवीण सेमवाल व उनकी पत्नी प्रतीक्षा सेमवाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देहरादून के कार्यालय में गए जहां उनको पुलिस कार्यालय में तैनात निरीक्षक श्री राजेश शाह द्वारा पूछताछ की गई, तथा घटना की जानकारी हेतु जांचकर्ता को निरीक्षक श्री राजेश शाह द्वारा शाम करीब पांच 5:15 बजे जांचकर्ता उपनिरीक्षक सत्येंद्र सिंह से मोबाइल नंबर से कॉल करके उक्त प्रवीण सेमवाल व यशपाल तंवर के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई, जिस पर निरीक्षक श्री राजेश शाह द्वारा जांचकर्ता को बताया गया कि दोनों पक्षों को पुनः थाना बुलाकर पूछताछ करें, तथा मैं प्रवीण सेमवाल व उनकी पत्नी प्रतीक्षा सेमवाल को आपके पास थाना प्रेमनगर पर भेज रहा हूं, परंतु कई दिन तक प्रतीक्षा व परवीन थाना प्रेमनगर पर नहीं आए, शिकायतकर्ता श्री यशपाल सिंह तंवर प्रतिदिन थाने पर अपने प्रार्थना पत्र पर की गई कार्रवाई के संबंध में पूछने थाने पर आते थे, परंतु प्रवीण सेमवाल के द्वारा किसी का भी फोन नहीं उठाया गया और ना ही वह थाना प्रेमनगर पर उपस्थित हुआ।

दिनांक 09.04.2026 को प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर श्री नरेश राठौर की कार्यालय में यशपाल सिंह तंवर आए जिनके द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षक को दिया गया प्रभारी निरीक्षक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की जांच महिला ASI शोभा मेहता थाना प्रेमनगर को दी गई तथा प्रभारी निरीक्षक द्वारा यशपाल सिंह तंवर को थाने पर रुकने को कहा गया तथा विपक्षी प्रवीण सेमवाल को बुलाने हेतु उसके कार्यालय उमेदपुरा में थाना मोबाइल को भेजा गया, प्रवीण सेमवाल के कार्यालय में उसकी पत्नी प्रतीक्षा सेमवाल व उसका साला आकाश

बंगवाल थाना प्रेमनगर की मोबाइल पार्टी को मिले जिनके द्वारा प्रवीण को पूछताछ हेतु थाने आने को कहा तो उसकी पत्नी प्रतीक्षा सेमवाल व उसका साला द्वारा अपने मोबाइल फोन से पुलिस पार्टी की वीडियो बनाना शुरू कर दिया तथा मोबाइल पार्टी के साथ अभद्र व्यवहार करने लग गए, इस पर पुलिस पार्टी द्वारा प्रवीण सेमवाल को स्वयं ही थाने आने को कहा गया, जिस पर प्रवीण सेमवाल राजी हो गया, और प्रवीण सेमवाल ने कहा कि मैं स्वयं ही अपने आप थाना प्रेमनगर आ जाउंगा मैं पुलिस की गाड़ी में नहीं जाउंगा, उसके बाद कुछ समय पश्चात दिनांक 09.04.2026 को ही प्रवीण सेमवाल स्वयं ही थाना प्रेमनगर पर उपस्थित आया, महिला ASI शोभा मेहता द्वारा यशपाल तंवर व विपक्षी प्रवीण सेमवाल जो स्वयं थाने आया था, से पूछताछ कर उनकी बातें महिला डेस्क मे सुनी ही रही थी, कि अचानक एक महिला अपने साथ एक युवक को लेकर आई, आते ही उक्त महिला द्वारा महिला ASI शोभा मेहता के गाल पर जोर से थप्पड़ मारकर महिला ASI शोभा मेहता को धक्का दे दिया, इतने में में महिला ASI शोभ शोभा मेहता संभल पाती पूर्व से महिला डेस्क में बैठे प्रवीण सेमवाल द्वारा एकदम गुस्से में आकर जोर–जोर से चिल्लाने लगा और गाली देते हुए कहने लगा कि साले पुलिस वालो को आज इन्ही के थाने पर ही सबक सिखाते हैं, प्रवीण सेमवाल ने महिला कांस्टेबल सुशीला का हाथ मरोड़ते हुए, उसे भी धक्का दे दिया, जिससे महिला कांस्टेबल के हाथ में भी चोट लग गई, उक्त महिला द्वारा थाना परिसर में आते ही उंची आवाज में गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए शांति व्यवस्था भंग की जाने लगी उसकी हरकतों से थाना परिसर का वातावरण अशांत हो गया, तथा ड्यूटी में बाधा उत्पन्न होने लगी उक्त महिला ने जान से मारने की धमकी देते हुए, गाली गलौज करते हुए महिला ASI शोभा मेहता के दोनों हाथ पकड़ लिए, और महिला के साथ आए लड़के ने भी महिला ASI शोभा मेहता के साथ हाथापाई करने लगा, उक्त तीनों द्वारा महिला ASI शोभा मेहता की वर्दी फाड़ दी इतने मे उक्त महिला द्वारा अपने आप ही अपने पेट व मुंह पर अपने हाथों से जोर–जोर से गुस्से में आकर अपने आप को मारना शुरू कर दिया, और कहने लगी कि आज मैं इन पुलिस वालों की नौकरी खाउंगी मौके पर अन्य पुलिसकर्मी थाना कार्यालय से दौड़कर आए, तो उक्त महिला को महिला कर्मगणों द्वारा व उक्त प्रवीण सेमवाल को थाना कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा पकड़ कर थाने के महिला डेस्क में आवश्यक कार्रवाई हेतु बैठाने लगे ही थे की इतने में महिला के साथ आया युवक अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए थाने से भाग गया, उक्त महिला से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रतीक्षा सेमवाल पत्नी परवीन सेमवाल निवासी सेमार जिला रुद्रप्रयाग हाल निवासी न्यू कॉलोनी उमेद नगर थाना बसंत विहार देहरादून बताया प्रतीक्षा सेमवाल द्वारा बताया गया कि जो लड़का मेरे साथ आया वह उसका छोटा भाई आकाश है, प्रवीण मेरे पति हैं, महिला प्रतीक्षा सेमवाल व उसके पति प्रवीण को थाने के महिला डेस्क में बैठाया गया, उक्त घटना को थाना पर आए श्री यशपाल तंवर व उसके लड़के अनमोल व थाने पर अन्य मौजूद स्वतंत्र गवाह अश्वनी कुमार निवासी श्यामपुर व धीरज पाल निवासी श्यामपुर आदि लोगों जो थाने पर आए थे, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, उक्त प्रतीक्षा सेमवाल व उसके साथ मौजूद उसके पति व उसके छोटे भाई के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए गाली गलोच करना तथा जान से मारने की धमकी देना तथा सरकारी कार्य को करने के दौरान लोक सेवक को थाना परिसर में बिना किसी वैध कारण के मारपीट करना व अभद्र

व्यवहार करने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षक थाना प्रेमनगर महोदय को महिला उ0नि0 शोभा मेहता द्वारा दिया गया, जिस पर प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 70/26 धारा 115(2), 121, 132, 221, 351(2), 352 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया, विवेचना उ0नि0 मालिनी के सुपुर्द की गई विवेचक द्वारा पीडित उ0नि0 शोभा मेहता के बयान दर्ज किए गए तथा घटना में अभियुक्त गणों द्वारा महिला उपनिरीक्षक शोभा मेहता की फाड़ी गई पहनी वर्दी को विधि पूर्वक कब्जे पुलिस लेकर सील सर्वे कर नमूना मोहर लिया, गया फर्द तैयार की गई, तथा विवेचक द्वारा दोनों पति–पत्नी से पूछताछ कर नियमानुसार दोनों को विधि पूर्वक कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया तथा दोनों का शारीरिक परीक्षण कराकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जो आरोप उक्त श्रीमती प्रतिक्षा व श्री प्रवीन सेमवाल द्वारा लगाये गये है वह आरोप उनके द्वारा अपने बचाव में कहे गये है, जो बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत कर झूठे व निराधार है, जिनकी कोई सत्यता नहीं है, जबकि सत्यता यह है कि, उक्त अभियुक्तगण द्वारा थाना परिसर में आकर महिला कर्मचारीगण के साथ अभद्र व्यवहार कर मारपीट करना व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी जो विधि के अनुरुप है, जिस कृत्य की अभियुक्तगण की घोर निन्दा की जाती है, थाने पर उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में सारी घटना रिकॉर्ड है, जिसमें स्पष्ट रुप से दिख रहा है, कि प्रतिक्षा सेमवाल अपने भाई आकाश के साथ स्वयं थाने पर आयी, और प्रतिक्षा तथा इनके भाई के द्वारा थाना परिसर में शोर–शराबा किया गया, तथा उ0नि0 शोभा मेहता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जब उनके द्वारा ऐसा करने से मना किया गया, तो प्रतिक्षा सेमवाल के द्वारा उ0नि0 शोभा मेहता के साथ मारपीट की गयी तथा मारपीट के साथ–साथ थाना परिसर से भागने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको उ0नि0 शोभा मेहता व अन्य पुलिस कर्मियो द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो प्रतिक्षा सेमवाल जमीन पर लेटकर शोर–शराबा करने लगी तथा महिला पुलिस कर्मियो के साथ मारपीट व अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, थाना परिसर में प्रतिक्षा सेमवाल व उसके पति के साथ किसी भी पुलिस कर्मी के द्वारा मारपीट आदि नहीं की गयी, थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से स्पष्ट है कि प्रवीन सेमवाल सामान्य रुप से थाना परिसर में घूम रहा है व किसी भी तरह से किसी तनाव अथवा दवाब में प्रतीत नही हो रहा है, उक्त तीनो व्यक्तियों के द्वारा पुलिस कार्यवाही से बचने तथा पीडित पक्ष श्री यशपाल तंवर के ऑफिस से चुराई गयी रकम न देने के लिए सब मनगढंत आरोप लगाये गये है, जो निराधार एवं सत्य से परे है। पीडित यशपाल तंवर द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र बनाम प्रवीन सेमवाल के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पत्रांक–एसटी–एसएसपी–2884 (जी)/2026 दिनांक अप्रैल 16, 2026 के क्रम में दिनांक 19.04.2026 को मु.अ.सं. 80/26 धारा 381/120बी भा0दं0सं0 बनाम प्रवीन सेमवाल पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है, घटना के समय पब्लिक के लोग भी अपनी–अपनी शिकायतो को लेकर मौजूद थे जो कि पूरे घटनाक्रम के चश्मीदीद गवाह है। प्रतीक्षा सेमवाल व उसके पति प्रवीण सेमवाल द्वारा अपने भाई के साथ थाना प्रेमनगर में आकर यह जानते हुए भी कि लोक सेवक सरकारी कार्य का निर्वहन कर रही है, फिर भी महिला अधिकारी व कर्मचारियों के साथ जिस प्रकार से मारपीट कर उनकी वर्दी फाड़ कर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई वह बेहत ही गंभीर प्रकृति का

अपराध है, जिसकी निन्दा की जाती है, शेष प्रार्थना पत्र को अपने बचाव हेतु बड़ा चडाकर प्रस्तुत किया गया हैं, जो भी आरोप लगाए गए हैं वह सचाई से परे निराधार हैं, प्रार्थना पत्र दुर्भावनापूर्ण, प्रतिशोधवश एवं पुलिस कार्यवाही से बचने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है... आदि कथन करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की है''... साथ ही साथ प्रार्थीगण के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 70/26 धारा 115(2), 121, 132, 221, 351(2), 352 बी.एन.एस. एवं मु0अ0सं0 80/26 धारा 381/120बी भा0दं0सं0 बनाम प्रवीन सेमवाल के अभियोगों की छायाप्रति संलग्न की गई है।

05. वर्तमान प्रार्थना पत्र मे विपक्षीगण के रूप मे अंकित 5 विपक्षीगण मे से 4 विपक्षीगण के पुलिस कर्मचारीगण होने तथा घटनास्थल के थाना परिसर प्रेमनगर के अर्न्तगत होने के कारण मामले मे धारा 175 (4) (क) के अर्न्तगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से भी आख्या आहूत की गयी थी, परंतु उनके द्वारा पृथक से कोई जांच आख्या प्रेषित नही करते हुये मात्र, पूर्व मे प्रकरण के संबध मे वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक मुकेश थलेडी के द्वारा प्रेषित, उपरोक्त वर्णित जांच आख्या को ही प्रेषित किया गया है।

06. प्रार्थी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवाक एंव उससे संलग्न दस्तावेजों तथा पुलिस आख्या का सम्यक परिशीलन किया गया।

07. प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा–175(3) बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के आलोक में न्यायालय के माध्यम से अन्वेषण कराये जाने की वान्छा या मंशा से प्रस्तुत किया गया है एवं दाण्डिक विधि के अनुसार ''अन्वेषण'' का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है तथा इस धारा के अधीन न्यायालय द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अन्य बातो के अलावा महत्वपूर्ण है कि, प्रार्थी के अभिवाक से किसी संज्ञेय प्रकृति के अपराध का गठन होता हो तथा उसके द्वारा धारा 173(1) बी.एन.एस.एस. एवं 173(4) बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों में विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया हो।

08. प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे मुख्यतः प्रार्थीगण मे से प्रार्थी प्रवीण सेमवाल के पूर्व मे पिछले पांच वर्षो से विपक्षी संख्या–01 श्री यशपाल सिंह तंवर के पास उसके प्रतिष्ठान मे एकाउन्टेन्ट के पद पर कार्यरत होने एंव उसके द्वारा स्वयं को जबरन नौकरी से निकाल दिये जाने पर अपना स्वयं का कारोबार आंरभ करने एंव स्वयं का व्यवसाय काफी अच्छा चलने लगने तथा उसकी अच्छी उन्नति को देखकर विपक्षी संख्या–01 के जल–भुन जाने तथा उसके द्वारा अन्य विपक्षीगण के साथ मिलकर प्रार्थी संख्या–01 के खिलाफ षडयंत्र कर चोरी की झूठी तहरीर थाना प्रेमनगर मे दिये जाने के नाम पर दिनांक 10.03.2026 को स्वयं को थाने में बुलाया जाने एंव वंहा पर विपक्षी संख्या–3 के द्वारा, विपक्षी संख्या–01 की उपस्थिति मे, स्वयं को जबरन डरा धमकाकर, थप्पड मारकर तथा धमकी एंव दबाव देकर एक समझौतानामा 20 लाख रूपये की देनदारी के एक माह के अंदर अर्थात 10.04.2026 तक अदा करने के संबध मे संबध लिखवाया जाने एंव इसके संबध मे प्रार्थी संख्या–01 द्वारा गृह सचिव, उत्तराखण्ड, डी0एम0, देहरादून एवं एस0एस0पी0, देहरादून को दिनांक 11–03–2026 को लिखकर देने तथा व्यक्तिगत रूप से मिलकर देने एंव उस पर विपक्षी संख्या 3 को एस0एस0पी0 देहरादून के कार्यालय से फोन जाने पर, विपक्षी संख्या–03 के द्वारा, प्रार्थी सं0 1 को व्हाट्सअप मैसेज में ''अब किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं'' की बात कहे जाने

का कथन किया गया है तथा प्रार्थीगण के द्वारा इस घटनाक्रम की पुष्टि के लिये गृह सचिव उत्तरांखड सरकार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 7 दिनांकित 11.03.2026, कथित समझौतानामा कागज संख्या 8 दिनांकित 10.03. 2026 की छायाप्रति, एंव कागज संख्या 14 एंव 15 विपक्षी संख्या 3 के कथित मोबाईल संख्या 9411774376 पर व्हाटसैप मैसेज के माध्यम से हुये वार्तालाप के प्रिंटआउट की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है जिससे प्रार्थीगण के अभिवाक को बल मिलता प्रतीत हो रहा है।

09. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह भी कहा है कि दिनांक 09–04–2026 को प्रार्थी प्रवीण सेमवाल एंव प्रतीक्षा सेमवाल अपनी दुकान में कार्य कर रहे थे तो अचानक विपक्षी संख्या 3, 4 व 5 व अन्य पुलिसकर्मी तथा विपक्षी संख्या–01 और उसके गुण्डे स्विफ्ट गाड़ी में बैठकर व दो पुलिस की गाड़ियों से आये और उनको जबरन खींचकर, मारपीट कर, घसीटकर प्रार्थी संख्या 01 को बिना किसी समन या वारंट के पुलिस की गाड़ी में डालकर प्रार्थी संख्या 02 को प्राईवेट नम्बर की स्विफ्ट कार में लेकर थाना प्रेमनगर पर ले गये और पूरे रास्ते गाड़ी के अन्दर प्रार्थी संख्या–1 को पुलिस कर्मियों द्वारा मारते रहे और प्रार्थी संख्या 02 को प्राईवेट स्विफ्ट कार से थाना प्रेमनगर के गेट पर उतारा तब तक प्रार्थी संख्या 03 भी मुख्य गेट पर पहुंच चुका था, और जब वे दोनों, प्रार्थी संख्या 01 को देखने के लिये थाने के अन्दर गये तो उन्होंने देखा कि सभी विपक्षीगण प्रार्थी संख्या 01 को लाठी, बैल्ट से पीटकर रहे थे ओर उसे घायल कर दिया था, जब प्रार्थी सं0 2 अपने पति का बचाव करने लगी तो विपक्षी संख्या 04 व विपक्षी संख्या 05 द्वारा प्रार्थी संख्या 02 को बुरी तरह से पीटा गया एंव विपक्षी संख्या 2 के द्वारा प्रार्थी संख्या 02 के पेट और गुप्तांगों में भी लातों से प्रहार किया गया जिससे उसे पूरी रात ब्लीडिंग हुई ओर जब प्रार्थी संख्या 03 के द्वारा अन्य प्रार्थीगण बर्बता से पीटते हुये देख कर विडियो बनाया जाने लगा तो उसे भी पुलिस वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन प्रार्थी संख्या 03 बचकर भाग निकला जिसके उपरांत थाना प्रेमनगर पुलिस ने सभी प्रार्थीगण पर झूठा मुकदमा संख्या 0070 सरकार बनाम प्रवीन सेमवाल आदि अन्तर्गत धारा 115(2), 121, 132, 221, 351 (2) व 352 बी0एन0एस0 में प्रार्थीगणों को अभियुक्त बनाया तथा उनको अगले दिन दिनांक 10–04–2026 को न्यायालय ए.सी.जे.एम. चतुर्थ, देहरादून के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय में मुकदमा योजित करने से पहले प्रार्थीगणों का प्रेमनगर सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराया गया जिसमें डॉक्टर द्वारा सामान्य रिपोर्ट बनायी गयी, उसके पश्चात् जब न्यायालय में प्रार्थीगणों को प्रस्तुत किया जाने के समय प्रार्थी संख्या 02 के द्वारा स्वयं को ब्लीडिंग होने की बात बताये जाने पर न्यायालय के मोखिक आदेशानुसार प्रार्थी सं0 2 को महिला कॉस्टेबल के माध्यम से न्यायालय के निर्देशानुसार चैकअप किया गया तो उस दौरान तक भी प्रार्थी सं0 2 को ब्लीडिंग हो रही थी जिसके उपरांत न्यायालय द्वारा उसी समय उनको जमानत पर रिहा किया गया और जमानत के पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा घ टना के तुरन्त पश्चात् दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में जाकर अपना मेडिकल कराया गया।

10. प्रार्थीगण के द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पूर्व में ही विपक्षी संख्या 01 के यहां नौकरी छोड़ दी और यदि प्रार्थी के द्वारा कोई चोरी की गयी होती, तो विपक्षी संख्या 03 व विपक्षी संख्या 01 पूर्व में ही उनके विरूद्ध कार्यवाही कर सकता था, किन्तु विपक्षी संख्या–01 व विपक्षी

संख्या–02 / थाना प्रभारी, पूर्व से ही परिचित है जिनके द्वारा विपक्षी संख्या–03 व विपक्षी संख्या–01 द्वारा प्रार्थीगणों से झूठी उगाही करने हेतु मु0 20,00,000 / – रूपये का समझौतानामा लिखवाया गया है, साथ ही प्रार्थीगण के द्वारा अपने फोन, प्रार्थी 3 आकाश बंगवाल के द्वारा थाने में लायी गयी प्रार्थी सं0 2 की स्कूटी पंजीयन संख्या–**UK07HH3029** मॉडल होण्डा एक्टिवा को थाने से गायब करने, उनके सारे मोबाईल फोन के लॉक तोड़कर सारे फोन रिसैट कर दिये जाने एंव प्रार्थी सं0 2 का एक फोन VIVO 30 को वापस नही किये जाने एंव वापस लेने जाने के समय विपक्षी संख्या–02 नरेश राठौर द्वारा यह धमकी कि..''मेरी अभी 20 साल की नौकरी है, तुझे कहीं का नहीं छोडूंगा, किसी ना किसी मामले में तुझे झूठा फंसाकर सलाखों के पीछे डालूंगा''...दी जाने का कथन किया जा रहा है तथा अपने अभिवाक के समर्थन मे प्रार्थीगणों मे से, प्रार्थी प्रवीण सेमवाल के द्वारा दिनांक 10.04.2016 को समय 06:40 बजे शाम राजकीय दून चिकित्सालय देहरादून पर कराये गये चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति कागज संख्या 4 जिसमे कि उसे कुल 6 उपहतियां एंव प्रार्थीया प्रतीक्षा सेमवाल के द्वारा दिनांक 10.04.2016 को समय 07:00 बजे शाम राजकीय दून चिकित्सालय देहरादून पर कराये गये चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति कागज संख्या 5 जिसमे कि उसे कुल 5 उपहतियां आनी दर्शित है, प्रस्तुत की गयी है जिनमे चिकित्सक द्वारा उपहतियों का ताजा तथा उनके किसी ''कठोर एंव कुंद'' वस्तु से आना अंकित किया गया है साथ ही साथ प्रार्थीगण के द्वारा अन्य दस्तावेजो के अलावा चोटिल प्रार्थी सं0 1 प्रवीन सेमवाल एवं प्रार्थी सं0 2 प्रतिक्षा सेमवाल की चोटों के फोटोग्राफ्स एवं कथित रूप से प्रार्थी संख्या 1 को बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट के घर से उठाकर लाये जाने एंव थाना प्रेमनगर पर हुयी घटना की वीडियो से संबधित पैनड्राईव भी धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधि0 के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी है जिनके अवलोकन से प्रार्थीगण के अभिवाक की प्रथम दृष्टया पुष्टि हो रही है।

11. उपरोक्त के अतिरिक्त मामले मे पुलिस थाना प्रेमनगर द्वारा प्रस्तुत आख्या, अपितु उक्त प्रकरण मे क्षेत्राधिकारी नगर जनपद देहरादून की जांच आख्या कागज संख्या 25 दिनांकित 22.05.2026 मे भी अन्य बातो के अलावा कथित रूप से..''माह मार्च में थाना प्रेमनगर में शिकायतकर्ता / विपक्षी सं0 1 यशपाल सिंह तंवर द्वारा प्रार्थी सं0 1 प्रवीन सेमवाल के विरूद्ध उसकी फर्म में नौकरी के दौरान अन्य प्रार्थीगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर फर्जी बिल बुक बनाकर व खातों में फेरबदल कर प्रार्थी के कारोबार में चोरी करने की शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जांच तत्कालीन थाना अध्यक्ष श्री कुंदन नाम द्वारा थाना प्रेमनगर पर नियुक्त उ0नि0 सत्येंद्र सिंह के सुपुर्द की जाने एंव दौराने जांच विपक्षी 3 के द्वारा यशपाल सिंह तंवर से विपक्षी प्रवीण सेमवाल का मोबाइल नंबर लेकर प्रवीण सेमवाल को बयान हेतु थाने पर बुलाये जाने, एंव उसको बार–बार बुलाने बयान हेतु नहीं आने पर जांच–कर्ता द्वारा दिनांक 10.03.2026 को विपक्षी प्रवीण सेमवाल को बुलाने हेतु थाने से कर्मचारी भेजे जाने एंव उसके थाने पर उपस्थित आने एंव विपक्षी संख्या 3 / जांच कर्ता के द्वारा कथित रूप से दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से पूछताछ कर बयान अंकित किए जाने एंव उसके द्वारा 20 लाख रुपये एक माह बाद दिनांक 10–04–2026 तक यशपाल तंवर को अदा कर देने का समझोता नामा प्रवीण सेमवाल द्वारा अपने हस्तलेख में लिखा जाने का''... कथन करते हुये प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित दिनांक 10.03.2026 को बिना

प्रथम सूचना रिपोर्ट के एंव बिना वांरट के थाने पर बुलाये जाने के अभिवाक की स्वीकृति की जा रही है एंव यह भी स्वीकार किया जा रहा है कि दिनांक 11–3–2026 को प्रवीण सेमवाल द्वारा जांचकर्ता/विपक्षी संख्या 3 के द्वारा प्रार्थी 1 को व्हाट्सएप कॉल व व्हाट्सएप मैसेज किए गए साथ ही साथ पुलिस आख्या एंव क्षेत्राधिकारी नगर जनपद देहरादून की जांच आख्या कागज संख्या 25 दिनांकित 22.05.2026 मे कथित रूप से दिनांक 09.04.2026 को प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर श्री नरेश राठौर/विपक्षी 2 के कार्यालय में पुनः विपक्षी 1 यशपाल सिंह तंवर के आने एंव उनके द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षक को दिये जाने पर उसकी जांच महिला ASI शोभा मेहता/विपक्षी संख्या 4 का दिये जाने एंव प्रभारी निरीक्षक द्वारा यशपाल सिंह तंवर को थाने पर रुकने एंव विपक्षी प्रवीण सेमवाल को बुलाने हेतु उसके कार्यालय उमेदपुरा में थाना मोबाइल को भेजा जाने तथा उनको पूछताछ हेतु थाने आने को कहा जाने पर प्रार्थीगण 2 एंव 3 के द्वारा फोन से पुलिस पार्टी की वीडियो बनाना शुरू कर दिया जाने एंव मोबाइल पार्टी के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा पुलिस पार्टी द्वारा प्रवीण सेमवाल को स्वयं ही थाने आने को कहा जाने एंव कुछ समय पश्चात दिनांक 09.04.2026 को प्रवीण सेमवाल के स्वयं ही थाना प्रेमनगर पर उपस्थित आने एंव विपक्षी 4 द्वारा शिकयतकर्ता यशपाल तंवर से पूछताछ किये जाने "... की घटना को भी स्वंय स्वीकार किया जा रहा है तो यंहा यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से पैदा होता है कि, यदि विपक्षी यशपाल सिंह तंवर के द्वारा दिनांक 10.03.2026 एंव 09.04.2026 को कथित रूप से प्रार्थीगण मे से प्रवीण सेमवाल के विरूद्ध कोई शिकायती प्रार्थना पत्र दिये थे तो, यह तथ्य विचारणीय है कि प्रथम, तो क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबध मे थे ? और यदि वह संज्ञेय अपराध के संबध मे था तो क्या उसके संबध मे तत्समय प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी थी ? परंतु इन प्रश्नो के संबंध मे पुलिस आख्या नकारात्मक है अपितु पुलिस आख्या मे कथित रूप से "प्रार्थना पत्रो" की जांच के कम मे सम्पूर्ण कार्यवाही किया जाना स्वीकार किया जा रहा है, परंतु यदि विधि के प्रावधानो को देखा जाये तो, यदि ऐसी कोई जांच की भी जा रही थी, तो पुलिस के पास मामले के वास्तविक तथ्यों को अंकित ना करके अविधिपूर्ण तरीके से से कथित जांच करने का उनको कोई विधिक अधिकार ही प्राप्त नही है, क्योकि बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 2 मे जांच एंव अन्वेषण को परिभाषित किया गया है जो निम्नवत हैः–

2 (ट) "जांच" से, अभिप्रेत है विचारण से भिन्न, ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाये,

इस प्रकार से शब्द "जांच" की परिभाषा से ही स्पष्ट है कि किसी दाण्डिक विधि के अनुसार किसी कथित अपराधिक घटना के संबध मे उसके अपराध के रूप मे पंजीकरण के बिना उसके संबध मे, बयान अंकित किये जाने, साक्ष्य संकलन अथवा अभियुक्तों की कथित पहचान संबधी किसी अन्य उददेशय के लिये, पुलिस अधिकारी द्वारा जांच किया जाना अनुमत एंव प्रावधानित नही है, अपितु जांच केवल मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है, और जहॉ तक दाण्डिक मामलो मे तथ्यो अथवा साक्ष्य संकलन का कार्य है वह अन्वेषण के माध्यम से किया जा सकता है जिसे कि दण्ड प्रकिया संहिता मे निम्नवत परिभाषित किया गया है :–

2 (ठ) "अन्वेषण" के अर्न्तगत वे सब कार्यवाहियां है जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या (मजिस्ट्रेट से भिन्न) किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो

मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाएं:

स्पष्ट है कि दाण्डिक मामलों मे पुलिस केवल अन्वेषण करने के लिये सशक्त है, वह भी स्वयं तब जब कोई संज्ञेय प्रकृति का अपराध घटित होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हो चुकी हो अथवा अंसज्ञेय मामलो में तब, जबकि मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेषण का आदेश दिया गया हो, परंतु वर्तमान मामले मे पुलिस आख्या मे, पुलिस के कार्मिको के जिस कृत्य को ''कथित जांच'' के कम मे संपादित करना एंव अपनी प्रतिरक्षा का आधार बनाया गया है उसके संबध मे अपनायी गयी ना केवल अविधिक अपितु बी.एन.एस.एस / प्रकिया दंण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानो के विरोधाभाषी है, क्योकि ना तो मामले मे, कथित रूप से विपक्षी संख्या 1 की बकाया धनराशी को दिलाये जाने हेतु समझौता नामा कराये जाने एंव ना ही तत्समय बिना कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुये तत्समय के थाना प्रभारियों के जांच हेतु आदेश देने का एवं ना ही मामले की कथित घ टना के संबंध मे, प्रार्थी 1 को उसके विरूद्ध बिना दाण्डिक मामला पंजीकृत हुये, बयान देने, अथवा साक्ष्य संकलन के उददेशय से, बार बार थाना प्रेमनगर बुलाया जाने का क्षेत्राधिकार था क्योंकि पुलिस आख्या से संलग्न प्रपत्रो से यह भी स्पष्ट है कि विपक्षी 1 यशपाल सिंह तंवर के माध्यम से जो मामला मु0अ0सं0 80 / 26 धारा 381 / 120बी भा0दं0सं0 बनाम प्रवीण सेमवाल के विरूद्ध पंजीकृत कराना बताया गया है वह दिनांक 19.04.2026 को थाना पंजीकृत हुआ है, वह भी तब जबकि प्रार्थीगण के द्वारा उसके एंव पुलिस कर्मचारीगण के विरूद्ध उच्चाधिकारियों का दिनांक 09.04.2026 के घटनाकम के संबध मे प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जा चुके थे एंव उसमे भी महत्वपूर्ण है कि उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट मे भी, प्रार्थीगण के द्वारा अपने वर्तमान प्रार्थना पत्र मे अंकित ''दिनांक 10.03.2016 एंव दिनांक 09.04.2026 को'' प्रार्थीगण मे से प्रार्थी प्रवीण सेमवाल को थाना प्रेमनगर पर पुलिस द्वारा बुलाये जाने के तथ्य की स्वीकृति की गयी है परंतु उसे विधिवत कोई नोटिस दिया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही है।

12. विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि जहाँ किसी सूचना से संज्ञेय अपराध का प्रथम दृष्टया खुलासा होता है वहाँ प्राथमिकी का पंजीकरण आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Priyanka Srivastava vs State of U.P. 6 SCC 287 में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 156 (3) द0प्र0सं0 / 175(3) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा मजिस्ट्रेट को अभिलेखों का परीक्षण कर संतुष्ट होना आवश्यक है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Lalita Kumari vs State of U.P.(2014) 2 SCC 1 में यह स्पष्ट किया गया है कि जहाँ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, वहाँ प्राथमिकी का पंजीकरण अनिवार्य है तथा केवल प्रारम्भिक जाँच के आधार पर प्राथमिकी पंजीकरण को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रखा जा सकता, पत्रावली के परिशीलन से यह दर्शित है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के कथनों के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया है तथा न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व थाना प्रभारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संहित अनेको उच्चाधिकरियो को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है एंव प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र के कथनों, प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत प्रपत्रों

तथा पुलिस आख्या के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रार्थी की तहरीर पर अब तक कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Sakiri Vasu Vs State of U.P. (2008) 2 SCC 409 में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ तथ्यों का अनावरण एवं साक्ष्य का संकलन पुलिस की सहायता के बिना संभव न हो, वहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अन्वेषण का आदेश दिया जाना उपयुक्त होता है। इसी प्रकार Ramdev Food Products Pvt. Ltd. Vs State of Gujrat (2015) 6 SCC 439 तथा Priyanka Srivastava vs State of U.P. (2015) 6 SCC 287 में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ आवश्यक साक्ष्य अभियोजनकर्ता के नियंत्रण में न हो तथा तथ्यों के अनावरण हेतु पुलिस शक्ति की आवश्यकता हो, वहाँ पुलिस अन्वेषण आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Om Prakash Ambadkar vs State of Maharashtra & ors. (2025 INSC 139) में यह स्पष्ट किया है कि मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर विचार करते समय मात्र औपचारिक रूप से कार्य नहीं कर सकता, बल्कि न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए यह संतुष्टि दर्ज करनी होती है कि आरोपों की सत्यता की जांच हेतु पुलिस अन्वेषण आवश्यक है।

14, प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों से कथित दोनो ही घटनाओं का थाना प्रेमनगर में घटित होना बताया जा रहा है तथा घटना कारित करने वाले पुलिस कर्मियों द्वारा प्रार्थीगण मे से प्रार्थी प्रवीण सेमवाल को बार बार थाने मे बुलाकर उस पर, प्रार्थी 1 को भय मे डालकर उस पर 20 लाख रूपये अदा करने का दबाव बनाने, धनराशि की अदायगी ना कर पाने पर प्रार्थीगण को बिना किसी वांरट एंव कारण के जबरदस्ती एंव बलपूर्वक उनके घर से उठाकर लाने के उपरांत थाने पर उनको अवैध रूप से बंधक रखना एंव उनके साथ मारपीट करना तथा उनके द्वारा गलत प्रक्रिया का प्रतिरोध करने पर उनके विरूद्ध अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करके उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करके अवैध गिरफतारी किया जाना अभिकथित है तथा मामले मे प्रार्थीगण को अवैध रूप से पुलिस द्वारा उठा कर लाने तथा थाना परिसर आदि, दोनो ही स्थानो पर सी.सी.टी.वी. कैमरो के लगे होने एंव दोनो स्थानो की वीडियो होना भी प्रार्थीगण द्वारा अभिकथित किया जा रहा है, एंव उक्त तथ्य विधिवत साक्ष्य संकलन तथा प्रकरण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अन्वेषण के माध्यम से ही उजागर किए जा सकते हैं, पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि घटना से संबंधित साक्ष्य, जैसे कि मोबईल से बनायी गयी वीडियो, पीडितो के मोबाईल को पुलिस द्वारा रिसेट करने, संभावित सी.सी.टी.वी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड एवं इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य तथा कथित घटना क्रम के समय प्रार्थीगणो को आयी अनेक उपहतियों जिनको कि चिकित्सक द्वारा "कठोर एंव कुदं वस्तु" से आना बताया गया है के कारणो, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेजी साक्ष्यो एवं अन्य तकनीकी एंव इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य, अभियुक्तों की पहचान एवं घटना की वास्तविकता स्थापित करने हेतु आवश्यक हैं जिनके संबध मे साक्ष्य संकलन केवल पुलिस तंत्र की निष्पक्ष, प्रभावी एंव गहन अन्वेष्ण की सहायता से ही संभव है।

15, प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवाक, संलग्न प्रपत्रों के सम्यक परीशीलन, पुलिस आख्या मे वर्णित तथ्यो तथा मामले मे उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण परिचर्चा के आलोक में उक्त प्रकरण मे प्रथम दृष्टया धारा 115(2), 119(2),127(2),133,351(2)352 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अर्न्तगत दंण्डनीय, संज्ञेय प्रकृति के अपराध का गठन होना परिलक्षित हो रहा है तथा

मामले में सही तथ्यो के प्रकटन के लिये विधिवत अन्वेषण कराया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है एंव न्यायालय के मतानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है, तदानुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

प्रार्थीगण प्रवीण सेमवाल आदि की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाता है।

थानाध्यक्ष थाना प्रेमनगर देहरादून को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त प्रकरण मे विधिवत अन्वेषण कराया जाना सुनिश्चित करें। कार्यालय अविलम्ब मामले से सम्बन्धित अपेक्षित दस्तावेज नियमानुसार थानाध्यक्ष थाना प्रेमनगर को प्राप्त करना सुनिश्चित करे।

आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को सूचनार्थ एंव इस अपेक्षा के साथ प्रेषित की जाती है, कि, क्ंयोकि उक्त प्रकरण मे एक निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी एंव 3 अन्य पुलिस कर्मचारीगण को अभियोगी बनाया गया है, ऐसे में वह मामले के प्रभावी एंव निष्पक्ष अन्वेष्ण के उददेशाय से एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दृष्टिगत रख्ते हुये, निरीक्षक स्तर से उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी से मामले का अन्वेषण करायेगें ।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

दिनांक 10.09.2026

(संजीव कुमार)
द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।